FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री राजेन्द्र व्यास, लोढ़ो का बास, रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 122 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00318
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-11-19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 22/11/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	16404(4) 1-11-19
22/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी तह० रायपुर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है पुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 13/12/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर पाली (राज.)	
13/12/19	श्रीमान कलेक्टर महोदय बाहर पधारे हैं पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 1-1-20 को पेश हो।	
1-1-20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधि० 2005 के संदर्भ में अपीलांट द्वारा चाही गई आवासीय [illegible] से सम्बन्धित पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतियां तहसीलदार द्वारा जरिये पत्रांक 357 दि० 22/11/2019 के जरिये दी गई है। इस अपील के संदर्भ में वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील वहीं स्तर पर निस्तारित करने का भी निवेदन किया है लोक सूचना अधिकारी के पत्रानुसार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली खुलासा फैसला की जाकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	